



प्रेस नोट

दिनांक 18.11.2024

थाना कुरारा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.11.2024 को थाना कुरारा पुलिस के द्वारा अभियुक्त राजेश यादव पुत्र रामप्रकाश यादव (उम्र करीब 25 वर्ष) निवासी ग्राम सिकरोढी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 357/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त राजेश यादव पुत्र रामप्रकाश यादव (उम्र करीब 25 वर्ष) निवासी ग्राम सिकरोढी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध देशी तमंचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 सूरज सिंह
- 2.का0 आशीष मौर्या

